THE ECONOMIC TIMES 26 JUNE 2020

CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

(CIN: L24124RJ1985PLC003293)

Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN-325 208

Tel No. 0744-2782915; **Fax No.** 07455-274130

Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025

Tel. Nos.: +91-11-46581300, 41697900; **Fax No.:** +91-11-40638679

Email: isc@chambal.in; **Website:** www.chambalfertilisers.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority").

In pursuance of IEPF Rules, the Company has sent necessary intimation to the concerned shareholders who have not claimed / encashed dividend for the Financial Year 2012-13 and all subsequent dividends declared by the Company and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority. The details of such shareholders (including the names of such shareholders and their folio no. or DP ID - Client ID) have been uploaded on the website of the Company at www.chambalfertilisers.com under the section "Investors & Policies". The shareholders may access the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

The concerned shareholders are requested to claim their unclaimed dividend for the Financial Year 2012-13 onwards by making an application to the Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Zuari Finserv Limited, "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi – 110025. The format of the application for making a claim for unclaimed dividend is available on the website of the Company mentioned above. In case a valid claim for the unclaimed dividend is not received by M/s. Zuari Finserv Limited on or before October 8, 2020, the Company shall transfer the concerned shares to IEPF Authority in accordance with the procedure prescribed under IEPF Rules. The original share certificates in respect of such shares which are held in physical form by the concerned shareholders, shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholders may kindly note that the shares transferred to IEPF Authority including the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules.

In case the shareholders have any queries in this regard, they may contact the Investor Service Centre of the Company at "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110 025. (Tel: 011-46581300, 41697900, email: isc@chambal.in).

For **Chambal Fertilisers and Chemicals Limited**

Sd/-

Rajveer Singh

Vice President – Legal & Secretary

Place : New Delhi

Date : June 25, 2020

"नव भारत टाइम्स" 26 जून 2020

चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः L24124RJ1985PLC003293)
पंजीकृत कार्यालयः गढ़ेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन – 325 208
टेलीफोन नं.: 0744–2782915; फैक्स नं.: 07455–274130
कॉर्पोरेट कार्यालयः "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110 025
टेलीफोन नं.: +91–11–46581300, 41697900; फैक्स नं. +91–11–40638679
ई–मेलः isc@chambal.in; वेबसाइटः www.chambalfertilisers.com

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष में हस्तांतरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 ("आईइपीएफ नियम"), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बंधित अंशों जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से अदत्त अथवा बेदावा रहे हैं, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण ('आईइपीएफ प्राधिकरण') के डी–मैट खाते में हस्तांतरित किया जाना वांछित है।

आईइपीएफ़ नियम के अनुसरण में, कंपनी ने उन सभी अंशधारकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं उसके उपरांत कंपनी द्वारा घोषित सभी लाभांश वेदावा/अदत्त है तथा जिनके अंश आईइपीएफ़ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना भेज दी है। ऐसे अंशधारकों का विवरण (इन अंशधारकों के नाम और उनके फोलियो नंबर या डीपी आईडी – क्लाइन्ट आईडी सहित) कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर "Investors & Policies" अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशधारक आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशों का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट पर जाँच कर सकते हैं।

सम्बन्धित अंशधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं उसके उपरान्त के अपने बेदावा लाभांश हेतु अपना आवेदन कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट – मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड, "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली–110 025 को भेजें। बेदावा लाभांश का दावा पेश करने हेतु आवेदन का प्रारुप कम्पनी की उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि बेदावा लाभांश का वैध दावा मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड को 8 अक्टूबर, 2020 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बन्धित अंशों को आईइपीएफ नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी। अंशधारक, जिनके ये सम्बधित अंश फिजिकल फार्म में हैं, उनके मूल अंश प्रमाण पत्र स्वयंमेव रद्द हो जायेंगें तथा अपरक्राम्य मान लिए जायेंगें।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अंशों को सभी उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, आईइपीएफ प्राधिकरण से आईइपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक सेवा केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110025 (टेलीफोन नं: +91–11–46581300, 41697900, ई–मेलः isc@chambal.in) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
हस्ता/–
राजवीर सिंह
वाईस प्रेसिडेंट– लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25 जून, 2020

"दैनिक भास्कर" कोटा 26 जून 2020

चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः L24124RJ1985PLC003293)
पंजीकृत कार्यालयः गढेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन – 325 208
टेलीफोन नं.: 0744–2782915; फैक्स नं.: 07455–274130
कॉर्पोरेट कार्यालयः "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110 025
टेलीफोन नं.: +91–11–46581300, 41697900; फैक्स नं. +91–11–40638679
ई–मेलः isc@chambal.in; वेबसाइटः www.chambalfertilisers.com

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष में हस्तांतरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 ("आईइपीएफ नियम"), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बंधित अंशों जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से अदत्त अथवा बेदावा रहे हैं, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण ("आईइपीएफ प्राधिकरण") के डी–मैट खाते में हस्तांतरित किया जाना वांछित है।

आईइपीएफ नियम के अनुसरण में, कंपनी ने उन सभी अंशधारकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं उसके उपरांत कंपनी द्वारा घोषित सभी लाभांश बेदावा/अदत्त है तथा जिनके अंश आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना भेज दी है। संबंधित अंशधारकों का विवरण (जिसमें इन अंशधारकों के नाम और उनके फोलियो संख्या या डीपी आईडी–क्लाइन्ट आईडी शामिल है) कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर "Investors & Policies" अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशधारक आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशों का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट पर जाँच कर सकते हैं।

संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं उसके उपरान्त के अपने बेदावा लाभांश हेतु अपना आवेदन कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट – मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड, "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली–110 025 को भेजें। बेदावा लाभांश का दावा पेश करने हेतु आवेदन का प्रारुप कम्पनी की उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि बेदावा लाभांश का वैध दावा मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड को 8 अक्टूबर, 2020 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बन्धित अंशों को आईइपीएफ नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी। अंशधारक, जिनके ये सम्बधित अंश फिजिकल फार्म में हैं, उनके मूल अंश प्रमाण पत्र स्वयंमेव रद्द हो जायेंगें तथा अपरक्राम्य मान लिए जायेंगें।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अंशों को सभी उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, आईइपीएफ प्राधिकरण से आईइपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक सेवा केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110025 (टेलीफोन नं.: +91–11–46581300, 41697900, ई–मेलः isc@chambal.in) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
हस्ता/–
राजवीर सिंह
वाईस प्रेसिडेंट– लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25 जून, 2020